पटना शहरी क्षेत्र में मौनसून अवधि के जल जमाव की समस्या से निपटने हेतु मानक परिचालन प्रकिया (Standard Operating Procedure)

....

परिचय

मौनसून अवधि में पटना शहर में जल जमाव के फलस्वरूप विभिन्न संरचनाओं पर दुष्प्रभाव पड़ने के साथ–साथ महीनों तक जन–जीवन अस्त–व्यस्त रहता है शहर के कई मुहल्लों में जल जमाव के कारण सड़के,दूरभाष केबुल,,पेयजल आपूर्ति, विद्युत आपूर्त्ति व्यवस्था तथा यातायात इत्यादि बाधित रहते हैं जिसे सामान्य स्थिति में लाने में संबंधित विभागों को महीनों का समय लगता है, परिणामस्वरूप सामान्य नागरिकों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है । मौनसून अवधि में जल जमाव तथा जल जमाव के फलस्वरूप उत्पन्न होनेवाली कठिनाइयों को न्यूनतम करने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों के बीचपूर्ण समन्वय तथा आपातकालीन कार्य योजना की तैयारी मौनसून के पूर्व कर लिया जाना अपेक्षित है । इस उद्देश्य की पूर्त्ति के लिए संबंधित विभाग/एजेंसी निम्नांकित हैं :–

विभाग/ एजेंसी तथा उनके दायित्व

1. पटना नगर निगम
2. बिहार राज्य जल पर्षद
3. बिहार राज्य विद्युत बोर्ड
4. नगर विकास एवं आवास विभाग
5. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
6. जल संसाधन विभाग
7. पथ निर्माण विभाग
8. भवन निर्माण विभाग
9. जिला प्रशासन
10. आरक्षी प्रशासन
11. स्वास्थ्य विभाग(मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
12. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग(क्षेत्रीय कार्यालय,पटना)
13. परिवहन विभाग(बिहार राज्य परिवहन निगम)
14. भारत संचार निगम लि0
15. पुल निर्माण निगम लि0
16. अग्निशामक दस्ता

17. बिहार राज्य आवास बोर्ड

18 भारतीय रेल(मंडल कार्यालय दानापुर

समन्वय एवं पर्यवेक्षण

मौनसून अवधि में जल जमाव की स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक स्तर पर समन्वय तथा पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है । जिसका निम्नतम स्तर वार्ड लेबल पर होगा । पटना नगर निगम के वार्ड स्तर पर पदस्थापित/कार्यरत कर्मचारी प्रत्येक वार्ड के अन्तर्गत पड़नेवाले नाला/कैचपीट/मैनहोल/ड्रेनेज लाइन तथा सिवर लाइन को विल्कुल साफ एवं कार्यरत स्थिति में बनाये रखेंगें । इनके ऊपर मुख्य सफाई निरीक्षक तथा कार्यपालक पदाधिकारी/मुख्य अभियंता का निरंतर पर्यवेक्षण होगा । कहीं किसी ड्रेन/मेनहोल/सिवर लाइन/कैचपीट की मरम्मति की आवश्यकता होनेपर पटना नगर निगम के क्षेत्रीय कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता उसे तुरत ठीक करेंगें और मुख्य अभियंता पटना नगर निगम इनका निरंतर पर्यवेक्षण करते रहेंगें । इसी प्रकार पटना नगर निगम के नियंत्रणाधीन सिवरेज/ ड्रेनेज पंपिंग स्टेशनों का लगातार संचालन सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता पूर्णरूप से जिम्मेवार होंगें तथा वे कार्यपालक अभियंता/मुख्य अभियंता के पर्यवेक्षण में कार्य करेंगें ।

बिहार राज्य जल पर्षद के नियंत्रणाधीन ड्रेनेज पंपिंग स्टेशनों के नियमित संचालन को सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन पर 24 घंटे कनीय अभियंता/सहायक अभियंता को प्रतिनियुक्त किया जायगा जो इन ड्रेनेज पंपिग स्टेशनों का लगातार संचालन सुनिश्चित करेगें । इनकी सहायता के लिये गस्ती दल एवं सुपर गस्ती दलों की भी प्रतिनियुक्ति की जायेगी जिनके साथ मैकेनिक/हेल्पर/इलेक्ट्रीशियन के साथ–साथ आवश्यक उपकरण भी उपलब्ध रहेगें ।

पटना नगर निगम के अर्न्तगत प्रत्येक अंचलों के कार्यपालक पदाधिकारी अन्य विभागों यथा विद्युत विभाग/स्वास्थ्य विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/भारत संचार निगम इत्यादि के साथ सम्न्वय स्थापित करने के लिए जिम्मेवार होगें ।

मौनसून के पूर्व की जानेवाली तैयारी

मौनसून के पूर्व की जानेवाली तैयारियॉ

मानसून अवधि में जल –जमाव से संबंधित एवं इससे प्रभावित होने वाले विभागों/एजेन्सियों के लिए यह आवश्यक है कि मौनसून अवधि के लिए सभी आवश्यक तैयारियॉ मौनसून अवधि प्रारंभ होने के पूर्व निश्चित रूप से कर ली जायॅ। इससे संबंधित निम्नांकित कार्रवाई अपेक्षित होगी।

(क) विभाग/एजेन्सी से संबंधित दायित्वों का पहचान किया जाना तथा इनके निर्वाहन के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति तथा प्रशिक्षण । दायित्वों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक उपकरणों का भंडारण।

(ख) मौनसून अवधि में जल–जमाव से उत्पन्न प्राकृतिक समस्या के प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण पदाधिकारी एवं कर्मचारी का नाम/पता/दूरभाष संख्या/मौबाईल संख्या इत्यादि सूचनाओं का संकलन तथा इसकी सूची केन्द्रीय नियत्रंण कक्ष को प्रेषित किया जाना ।

मौनसून अवधि के कार्य

(ग) जल –जमाव से संबधित प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय गैर सरकारी संगठनो (N.G.O.) की पहचान कर उन्हें सूचीबद्ध किया जाना तथा ऐसे संगठनों के पदाधिकारियों का नाम/ पता/दूरभाष संख्या की सूची नियंत्रण कक्ष को उपलब्ध कराया जाय।

(घ) मानसून अवधि में जल–जमाव की समस्या से निजात पाने हेतु कार्य योजना की तैयारी एवं पदाधिकारियों/कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति किया जाना । कार्य योजना की एक प्रति नियंत्रण कक्ष में उपलब्ध कराया जाना।

(ङ) भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (क्षेत्रीय कार्यालय पटना) का यह दायित्व होगा कि मौनसून अवधि में 1 जून से 15 अक्टूवर तक प्रतिदिन दो बार वर्षापात एवं अगले पॉच दिनों के संभावित वर्षापात का प्रतिवेदन नियंत्रण कक्ष में उपलब्ध करायेंगें ।

(च) मौनसून विभाग द्वारा अत्यधिक वर्षापात की संभावना दिखाये जाने पर नियंत्रण कक्ष के प्रभारी पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि सभी संबंधित विभागों/एजेंसी को सतर्क कर दें ताकि उन्हें परिस्थिति से निपटने के लिए आवश्यक उपाय करने में कठिनाई नहीं हो ऐसी परिस्थिति में अग्निशामक दस्ता/जिला नियंत्रण कक्ष/आरक्षी नियंत्रण कक्ष/पटना नगर निगम/बिहार राज्य जल पर्षद को विशेष रूप से सकर्त किया जाना चाहिए ताकि वे स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहें ।

(छ) मीडिया केन्द्र की स्थापनाः– मौनसून अवधि में जल जमाव/जल निकासी के स्थिति की अद्‌यतन एवं वास्तवित जानकारी जनसाधारण के बीच पहुॅचाने हेतु मीडिया सेन्टर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है । जिला प्रशासन एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी,पटना केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष में मिडिया सेन्टर की स्थापना करेंगें जो प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के साथ–साथ लाउडस्पीकर के माध्यम से महत्वपूर्ण आवश्यक सूचनाओं से जनसाधारण को अवगत करायेंगें ।

सतर्कता सूचना

जल जमाव को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विभागों /एजेन्सियों के महत्वपूर्ण दायित्व

पटना नगर निगमः–

(1) जल जमाव की आशंका वाले क्षेत्र/मुहल्लों की पहचान किया जाना तथा सूचीबद्ध करना।जल जमाव से प्रभावित होनेवाले सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानों को चिन्हित करके उन्हें सूचीबद्ध किया जाना ।

(2) नगर निगम के क्षेत्रान्तर्गत सभी भूमिगत/खुला नाला की पूर्ण सफई तथा इसके अवरोध को हटाया जाना ।

(3) नालों की मरम्मति एवं रख–रखाव तथा आवश्यकतानुसार कच्चा नाला का निर्माण।

(4) नगर निगम के अधीन विभिन्न संरचनाओं तथा सेवाओं का रख–रखाव/मरम्मति/ संपोषण एवं संचालन।

(5) नगर निगम के अधीन सभी ड्रेनेज/सिवरेज पंपिग स्टेशनों का सुचारू रूप से संचालन/पंपिंग की क्षमता में बृद्धि के लिए कार्रवाई ।

(6) मोटर/पंप/ट्रांसफर्मर/ट्रैक्टर/ट्रिपर तथा अन्य उपकरणों की मरम्मति के लिए वर्कशॉप की स्थापना ,निजी वर्कशॉप/मरम्मति कर्त्ताओं को चिन्हित करना तथा सूचीबद्ध करना ।

(7) कचड़ा प्रबंधन/कूड़ा का उठाव/परिवहन एवं निष्पादन।

(8) आवारा जानवर एवं मानव लाशों का निष्पादन/विर्सजन।

(9) जल–जमाव से विस्थापित व्यक्तियों का अस्थाई पुनर्वास एवं राहत कार्य।

(10) जल–जमाव से प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध पेय जलापूर्ति की व्यवस्था ।

(11) मच्छरों पर नियंत्रण की व्यवस्था ।

(12) प्रभावित क्षेत्रों मे ब्लीचिंग पाउडर/चूना/गैमैक्सीन इत्यादि का छिड़काव ।

(13) आवश्यकता पड़ने पर अस्थाई पुनर्वास की व्यवस्था ।

(14) गोताखोर गैंग की व्यवस्था ।

(15) जल–जमाव से प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार पोर्टेबुल डिजल पंप सेटों से जल निकासी की व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त संख्या में डिजल चालित ईजन/पोर्टेबंल पंपसेट उपलब्ध रखना तथा पंपों के संचालन के लिए कर्म0/पदा0 की प्रतिनियुक्ति ।

(16) सभी सड़क/गली में स्ट्रीट लाइट की पर्याप्त व्यवस्था ताकि जल जमाव की स्थिति में दुर्घटना से बचा जा सके ।

(17) अन्य कार्य जो आकस्मिक स्थिति में आवश्यक हो ।

बिहार राज्य जल पर्षद ।

(1) बिहार राज्य जल पर्षद एवं पटना नगर निगम के अधीनस्थ सभी पंपिग स्टेशनों पर नये पंपो/मोटर/ट्रांसफर्मर की अधिष्ठापन के साथ–साथ वर्त्तमान में स्थापित मोटर/पंप/ट्रांसफर्मर एवं अन्य उपकरणों की मरम्मति तथा उनका टेस्टरन कराकर मौनसून के लिए विल्कुल तैयार स्थिति में रखना ।

(2) सभी ड्रेनेज/सिवरेज पंपिग स्टेशनों को सुचारू रूप से संचालन के लिए और तकनिकी खराबी होने की स्थिति में त्वरित गति से उनकी मरम्मति के लिए आवश्यक औजार/मोविल/ग्रीस/बैट्री/डिजल इत्यादि का पर्याप्त भंडारण करना ।

(3) सभी पंपिग स्टेशनों पर पर्याप्त पेय जलापूर्ति /रोशनी एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण पंपिंग स्टेशनों पर जेनरेटर के माध्यम से रोशनी के लिए वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करना ।

(4) विद्युत आपूर्ति वाधित होने की स्थिति में डिजल इंजन चालित पंप सेटों को तुरंत संचालित किया जाना ।

(5) पंप/मोटर/ट्रांसफर्मर एवं अन्य उपकरणों में खराबी की स्थिति में उनकी युद्ध स्तर पर मरम्मति सुनिश्चित करना।

(6) सभी पंपिग स्टेशनों का लगातार पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण के लिए पदाधिकारी /कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या में प्रतिनियुक्ति।

(7) पंप/मोटर/ट्रांसफर्मर एवं अन्य उपकरणों की मरम्मति हेतु वर्कशॉप की स्थापना/निजी वर्कशॉप/मरम्मतिकर्त्ताओं को चिन्हित करना तथा सूचीबद्ध करना ।

स्वास्थ्य विभाग (मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना)

(1) जल जमाव से प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा के लिए आवश्यक दवाओं के साथ। चिकित्सादलों की प्रतिनियुक्ति ।

(2) एम्बुलेंस की व्यवस्था ।

(3) जल जमाव से प्रभावित क्षेत्रों में अवस्थित चिकित्सा उपकेन्द्रों / अस्पतालों में 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा की व्यवस्था ।

(4) संक्रमक बीमारियों की रोकथाम के लिए टीकाकरण एवं विशेष उपाय ।

(5) मोबाइल चिकित्सा दलों की प्रतिनियुक्ति ।

(6) अस्थाई पुर्नवास केन्द्रों में चिकित्सा दलों की प्रतिनियुक्ति ।

(7) सॉप काटने की दवा की व्यवस्था ।

(8) चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए निजी अस्पतालों/नर्सिंग होम्स के साथ समन्वय करना ।

अग्निशामक दस्ता

(1) बचाव कार्य जिसमें जल जमाव क्षेत्रवाले व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना शामिल होगा ।

(2) विद्युत आपूर्त्ति केन्द्र/उपकेन्द्र/ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन/सिवरेज पंपिंग स्टेशन में विद्युत के कारण आग लगने की स्थिति में बचाव कार्य के लिए अग्निशामक दस्तों की प्रतिनियुक्ति ।

जिला प्रशासन/आरक्षी प्रशासन

(1) विधि व्यवस्था का संधारण

(2) भीड़ नियंत्रण

(3) ड्रेनेज पंपिग स्टेशन/सिवरेज पंपिग स्टेशन/ नियंत्रण कक्ष में सुरक्षा व्यवस्था तथा आकस्मिकता को ध्यान में रखते हुए दंडाधिकारी/आरक्षी पदाधिकारी/सशस्त्र बल एवं लाठी बल की पर्याप्त संख्या में प्रतिनियुक्ति।

(4) जल निकासी के कार्यों में संलग्न पदाधिकारी/अभियंताओं तथा अन्य कर्मचारियों की सुरक्षा व्यवस्था।

(5) पाईप लाईन/ सिवर लाईन/खुला नाला पर से अतिक्रमण तथा अवैध कब्जा हटाने में सहयोग तथा सुरक्षा प्रदान करना ।

(6) वाहनों की व्यवस्था (अधियाचना)

(7) डीजल पंपों तथा वाहनों के संचालन के लिए डिजल/मोबिल की उपलब्धता सुनिश्चित करना ।

(8) सूचना केन्द्रों की स्थापना

(9) प्रभावित क्षेत्रों से आबादी को निष्कासन,अस्थायी पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना तथा आवश्यकता पड़ने पर मुफ्त सहाय्य का वितरण ।

<u>यातायात पुलिस</u>

(1) जल जमाव की स्थिति में ट्राफिक नियंत्रण तथा ट्रैफिक को वैकल्पिक सड़को के माध्यम से संचालित कराना।

(2) यातायात व्यवस्था के संबंध में आवश्यकतानुसार परिवर्तित मार्गो के संबंध में सूचना प्रिंट/मिडिया/लाउडस्पीकर के माध्यम से सामान्य लोगों को जानकारी प्राप्त करवाना ।

(3) जल–जमाव के क्षेत्र में फसे हुए वाहनों को निकलने की व्यवस्था सुनिश्चित करना ।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (क्षेत्रीय कार्यालय पटना)

(1) दिन में दो बार वर्षापात प्रतिवेदन केप्द्रीय नियंत्रण कक्ष/जिला नियंत्रण कक्ष/नगर विकास एवं आवास विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/मंडल रेल कार्यालय पटना/ऐयरपोर्ट को उपलब्ध कराना ।

(2) प्रत्येक दिन अगले पांच दिनों के लिए वर्षापात का पूर्वानुमान उपर्युक्त कंडिका–1 में उल्लिखित कार्यालयों में उपलब्ध कराना ।

(3) अत्यधिक वर्षापात का पुर्वानुमान होने पर अविलम्ब इसकी सुचना केन्द्रिय नियत्रण कक्ष को उपलब्ध कराना ।

भारत संचार निगम लिमिटेड

(1) दूरभाष लाईनों का अतिशीघ्र पुनर्स्थापन ।

(2) दूरभाष सेवा ब्रेक डाउन की शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई करना ।

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (पेसु)

(1) सभी ड्रेनेज पंपिग स्टेशन/सिवरेज पंपिग स्टेशनों में अधिष्ठापित विद्युत मोटर पंपों में लगातार विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना।

(2) ड्रेनेज पंपिग स्टेशन/सिवरेज पंपिग स्टेशन में आपूर्ति किये जा रहे विद्युत भोल्टेज के उतार–चढ़ाव को नियंत्रित करना ।

(3) संभावित जल–जमाव के क्षेत्रों में इन्सुलेशन को त्रुटि रहित बनाना ।

(4) आवश्यकतानूसार विद्युत पोलों एवं तारों का सुदृढ़ीकरण ।

(5) लगातार निगरानी एवं आवश्यकता पड़ने पर विद्युत आपूर्ति को तुरत विच्छेद किया जाना ।

(6) विद्युत आपूर्ति को यथा संभव शीघ्र पुनर्स्थापित किया जाना ।

(7) ग्रीड/सब ग्रीड/पावर स्टेशन/सब पावर स्टेशन /विद्युत संचार लाईन में किसी तरह की खराबी की तुरत मरम्मति सुनिश्चित किया जाना ।

<u>पुल निर्माण निगम</u>

(1) जल–जमाव के संभावना वाले क्षेत्रों में पथों की निगरानी तथा इन्हें निमार्णाधीन सड़कों एवं सड़क किनारे नालों एवं पुलिया का निर्माण मौनसून के पूर्व किया जाना ।

(2) सड़क निर्माण के दरम्यान भूगर्भ नालों/सिवर के मैन हौलों जो निर्माण सामग्री के कारण भरे हुए है उन्हें साफ कराना,सड़क के किनारे निर्माण किये गये ड्रेन की सफाई सुनिश्चित करना ं।

(3) निर्माणाधीन पुलों के पास ट्राफिक के लिए चालू लेन/वाईपास/डायवर्सन को यातायात के लिए बनाये रखना ।

(4) निर्माण सामग्री को व्यवस्थित करना ताकि यातायात में कोई अड़चन नहीं हों।

पथ निर्माण विभाग

(1) जल जमाववाले क्षेत्रों में पथों की निगरानी तथा इन्हें यातायात के लिए बनाये रखना ।

(2) जल जमाव की स्थिति से बचने के लिए पर्याप्त संख्या में पुल/पुलिया का निर्माण ।

(3) जल निकासी के लिए आवश्यक होने पर रोड कटिंग होने की स्थिति में ह्यूम पाईप देकर अथवा अन्य उपायों से सड़क यातायात को चालू किया जाना ।

(4) सड़क के किनारे बने हुए विभागीय नालों की मरम्मति/सफाई एवं रख–रखाव सुनिश्चित करना ।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

(1) सरकारी कोलनी एवं आवासीय कोलनी में जलापूर्त्ति की व्यवस्था ।

(2) जल निकासी एवं सिवर लााईन मेन्टेनेन्स के कार्यों का अनुश्रवण /निगरानी ।

(3) जल निकासी कार्यों के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध कराना तथा जल निकासी कार्य का पर्यवेक्षण/अनुश्रवण ।

(4) ड्रेनेज पंपों के संचालन हेतु अभियंताओं/तकनिकी कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति ।

सिंचाई विभाग

(1) टास्कफोर्स की बैठकों में लिये गये निर्णय के आलोक में खनुआ नाला एवं बादशाही नाला की सफाई /डिसिल्टिंग /मरम्मति तथा रख–रखाव सुनिश्चित करना ।

(2) अभियंताओं के टीम को सतर्क रखना ताकि आवश्यकता पड़ने पर जल निकासी कार्य में उनकी सेवा ली जाय ।

नगर विकास एवं आवास विभाग

1. नगर विकास एवं आवास विभाग की भूमिका नोडल विभाग की होगी ।
2. जल निकासी/जल जमाव से निपटने हेतु नालों की सफाई/अन्य आवश्यक कार्यों के लिए निधि की उपलब्धता ।
3. सूचना केनद्र की स्थापना तथा मीडिया के साथ समन्वय का पर्यवेक्षण ।
4. मौनसून –जल जमाव–जल निकासी से संबंधित सरकार के अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित कराना ।
5. आपदा प्रबंधन विभाग के साथ समन्वय ।

भारतीय रेल (मंडल कार्यालय दानापुर)

1. भारतीय मौसम विाान विभाग (क्षेत्रीय कार्यालय पटना)से वर्षापात / पूर्वानुमान का प्रतिवेदन प्रतिदिन प्राप्त करना तथा तदनुसार रेलवे ट्रैक का निरीाण एवं निगरानी ।
2. रेलवे ट्रैक पर पानी जमा होने की आशंका वाले क्षेत्रों की पहचान करना तथा सूचीबद्ध करके सूची की एक प्रति केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष में उपलब्ध कराना ।
3. अत्यधिक वर्षापात तथा पूर्वानुमान के आधार पर रेल गाड़ियों के परिचालन को नियंत्रित करना ।
4. दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए निरोधात्मक उपाय करना ।
5. अस्पतालों में 24 घंटे आकस्मिक चिकिक्सा की व्यवस्था ।
6. एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन तैयारी की स्थिति में उपलब्ध रखना ।

<u>बिहार राज्य आवास बोर्ड</u>

1. आवास बोर्ड द्वारा संचालित ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन में अधिष्ठापित मोटर/पंप/ट्रांसफर्मर इत्यादि की मरम्मति तथा संचालन सुनिश्चित करना ।

2. ड्रेनेज/सिवरेज पंपिग स्टेशन के संचालन तथा पर्यवेक्षण के लिए पदाधिकारियों/ कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति ।

3. ड्रेनेज/सिवरेज पंपिंग स्टेशनों में वैकल्पिक डिजल ईजन चालित पंप अधिष्ठापित करना तथा इसमें उपयोग हेतु डिजल,मोबिल,ग्रीस इत्यादि उपलब्ध कराना ।

भवन निर्माण विभाग

1. सरकारी भवनों तथा आवासीय कोलनियों में अतिरिक्त सड़कों एवं नालों की मरम्मति तथा रख–रखाव ।
2. सरकारी भवन परिसर तथा आवासीय कोलनियों से जल निकासी की व्यवस्था ।
3. सरकारी भवनों एवं आवासीय कोलनियों में अवस्थित भवनों के सेनिटरी फिटिंग्स तथा विद्युत वायरिग की मरम्मति एवं रख–रखाव ।
4. उपयुग्क्त कायों के लिए पदा0 / कर्म0 की प्रतिनियुक्ति एवं जिम्मेवारी सौंपना ।

परिवहन विभाग (बिहार राज्य परिवहन निगम)

1. जल जमाव वाले क्षेत्रों से आवश्यकतानुसार आवादी के निष्पादन हेतु बसों की व्यवस्था ।

2. निगम के बसों में मौनसून के जल जमाव को ध्यान में रखते हुए सुरक्षात्मक व्यवस्था करना ।